कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ.ग.)

–:: **विज्ञापन** ::–

क्रमांक ..../दो–12–16/13 **बेमेतरा, दिनांक** 28.03.2017

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि– 22 अप्रेल, 2017 शाम 5:00 बजे तक

जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा के अंतर्गत रिक्त सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी), सहायक ग्रेड–3, (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन/आदेशिका लेखक/प्रतिलिपिकार एवं निष्पादन लिपिक) एवं भृत्य (भृत्य/फर्रास/दफ्तरी कम फर्रास) के तथा आकस्मिक निधि मद के अन्तर्गत वाटर मेन/ चौकीदार/स्वीपर के पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है:–

रिक्त पदों का विवरण एवं योग्यता

क्र0	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद				आरक्षित पद – अन्य पिछड़ा वर्ग				आरक्षित पद – अनुसूचित जाति				आरक्षित पद – अनुसूचित जनजाति			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	तृतीय श्रेणी पद																	
1	सहायक प्रोग्रामर	01	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	05	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
3	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	02	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
4	सहायक ग्रेड–तीन (निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/सहा. अभिलेखापाल/आदेशिका लेखक/प्रतिलिपिकार/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन	17	7	4	1	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
योग		25	09	05	01	–	02	01	–	–	04	01	–	–	02	–	–	–
	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य –2, फर्राश–1, दफ्तरी कम फर्राश–2)																	
5	भृत्य	05	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	दैनिक वेतन भोगी (वाटरमेन–4, चौकीदार–4, स्वीपर–4)																	
6 7 8	वाटरमेन चौकीदार स्वीपर	12	6	2	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–

नोट:– विशेष न्यायालय (एफ.टी.सी.) स्थापना का स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड–03, आदेशिका लेखक एवं भृत्य का एक–एक पद सम्मिलित है। भृत्य के रिक्त पद में दफ्तरी कम फर्राश का दो पद एवं फर्राश का एक पद सम्मिलित है।

संकेतक:– मु.–मुक्त, म.– महिला, दि.–दिव्यांग, भू.पू.सै.– भूतपूर्व सैनिक

भर्ती की पात्रता एवं शर्ते:–

(1) सहायक प्रोग्रामर के पद के लिए:–

अ– वेतनमान : वेतन 9300–34800+ग्रेड वेतन 4300 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार

ब– **शैक्षणिक योग्यता** :–

यूनिक्स/ओपन सोर्स साफ्टवेयर/विंडोज एन.टी./उबन्टू में कार्य करने के अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता:–

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में एम. सी.ए./एम.एस.सी./बी.ई./बी.टेक. डिग्री।

अथवा

(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ (D.O.E.) से तथा "A") लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (P.G.D.C.A.) तथा प्रोगामिंग/सॉफ्टवेयर डेव्हलपमेंट में तीन वर्ष का अनुभव।

नोट:– 1. उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

2. न्यायालय में ई–कोर्ट प्रोजेक्ट के कार्यानुभव वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

(2) स्टेनोग्राफर हिन्दी/अंग्रेजी के पद के लिये –

अ– वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन रूपये 2800/–

ब– **शैक्षणिक योग्यता** :–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम **40** प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम **45** प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र तथा अंग्रेजी शीघ्र लेखक के पद के लिये अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र रखता हो।

3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (D.C.A.) के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का ज्ञान।

(3) सहायक ग्रेड–3 के पद के लिये :–

(उक्त पद के अंतर्गत निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/प्रतिलिपिकार/सहा अभिलेखापाल/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेलअमीन के पद सम्मिलित है)

— **वेतनमान**— वेतन बैण्ड रूपये 5200—20200/— ग्रेड वेतन रूपये 1900/—

ब— **शैक्षणिक योग्यता :—**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन (टायपिंग) परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (D.C.A.) के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का ज्ञान।

(4) चतुर्थ श्रेणी (भृत्य,फर्राश, दफ्तरी कम फर्राश) के पद के लिये :—

अ— **वेतनमान** :— वेतन बैण्ड 4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300

ब— **शैक्षणिक योग्यता** :— किसी मान्यता बोर्ड से कक्षा पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य एवं सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

नोटः— ड्रायवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, एवं प्लंबर के कार्य के अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा अनुभव के संबंध में यदि प्रमाण—पत्र हो तो आवेदन के साथ संलग्न करे।

(5) आकस्मिकता निधि/दैनिक वेतन भोगी पद के लिये :—

अ— **वेतनमान** :— कलेक्टर बेमेतरा द्वारा निर्धारित दर पर

ब— **शैक्षणिक योग्यता** :— किसी मान्यता बोर्ड से कक्षा पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य एवं सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

नोटः— ड्रायवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, एवं प्लंबर के कार्य के अनुभव प्राप्त उम्मीदवारोंको प्राथमिकता दी जायेगी तथा अनुभव के संबंध में (यदि प्रमाण—पत्र हो तो) आवेदन के साथ संलग्न करे।

आयु सीमा एवं पात्रता संबंधी अन्य शर्ते

(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(2) (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो,

नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(ब) कोई पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(स) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(3) दिनांक 01/01/2017 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परंतु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के ज्ञापन क्र. – एफ–3–2/2015/1–3, नया रायपुर दि. 23/01/2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्षो में 5 वर्ष की छूट कलेण्डर वर्ष 2018 की समाप्ति तक प्रदान की गई है। परंतु अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नही होगी।

(4) <u>**उच्चतम आयु सीमा में छूट**</u> :–

निम्नलिखित श्रेणीं के उम्मीदवारों को अधिकतम सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

(4) –(1) (1)–यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

(1) (2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ– 7–25–93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1984 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमीलियर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।

(1) (3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेंगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।

(1) (4)– ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :— छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

(1) (5)— ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु, निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1) (6)— महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

(1) (7)— सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1—2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गो को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यकता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(1) (8)— स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमिशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुये दी जायेगी।

(1) (9)— विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की अधिकतम छूट रहेगी।

(4)—(2) (1)—आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी.3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(4) (2) (2)— विक्रम पुरस्कार, शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद्र भंज सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ—19—2/2005/1—3, दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

(4) (2) (3)–उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 6–10/2004/1–9 दिनांक 06.07.2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :– (1) बिंदु क्रमांक 4 (1) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 4 (2) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटो में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिये निर्धारित छूट नहीं दी जायेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा समस्त शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। नियुक्ति पश्चात भी जांच में किसी समय अनर्ह पाये जाने पर उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किये जाऐंगे, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं।

(5) किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरें जा सकेंगे।

(6) यदि आवेदक कोई अन्य कोई छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देश का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

यदि विज्ञापन में दर्शित एवं राज्य शासन द्वारा घोषित आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रकार की विसंगति होने की दशा में राज्य शासन द्वारा घोषित नियम अधिभावी होगा।

<u>आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

1— आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ए 4 साईज के पेपर पर कम्प्यूटर से टंकित कर प्रस्तुत किये जाये, जिसके साथ लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा हेतु (जिन पदों हेतु लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा लिया जाना है) प्रवेश पत्र प्रवेश पत्र दो प्रतियों में संलग्न करें साथ ही स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुऐ दो लिफाफे लगभग 22x11cm आकार के 5/—रू. की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करे। यदि आवेदक द्वारा टिकिट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होनें की जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी।

2. पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 22/04/2017 की संध्या 5:00 बजे तक बंद लिफाफे में जिसके उपर स्पष्ट रूप से <u>आवेदित पद का नाम</u> एवं <u>आवेदक का वर्ग</u> लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ.ग.) पिनकोड नं. 495335 के कार्यालय में परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा और न ही कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। दिनांक— 22/04/2017 की संध्या 5:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। यदि डाक विभाग की त्रूटि या किसी अन्य कारण से भी आवेदन निर्धारित समय तक प्राप्त नही होता है तो भी उस पर विचार नही किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित (SELF-ATTESTED) प्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला न्यायालय, बेमेतरा की वेब साईट ecourts.gov.in/bemetara से डाउनलोड की जा सकती है।

2— जन्मतिथि की सत्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

3— ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियुक्ति विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

5— यदि आवेदक विज्ञापित पदों में से एक से अधिक पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक—पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

6— विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त एवं प्रेषित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

7— कम्प्यूटर प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर तथा सहायक ग्रेड–3 पद हेतु लिखित परीक्षा (प्रा पश्चात् कौशल परीक्षा हेतु अर्हताधारी अभ्यार्थियों को कौशल परीक्षा के लिये उपस्थित होने सूचना पृथक से दी जावेगी तथा जिला न्यायालय बेमेतरा के सूचना पटल में चस्पा और वेबसाईट भी अपलोड की जावेगी। जिन उपयुक्त अभ्यर्थीगण को कौशल परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना परीक्षा तिथि के पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है, वे परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व तक जिला न्यायालय में उपस्थित होकर अथवा जिला न्यायालय की वेब साईट ecourts.gov.in/bemetara से प्रवेश पत्र का प्रारुप डाउनलोड कर तथा आवश्यक प्रविष्टियां (जो कार्यालय द्वारा भरी जानी है, उसे छोड़कर) स्वयं पूर्ण कर आई.डी. प्रूफ (पहचान पत्र) यथा– ड्रॉयविंग लायसेंस/वोटर आई.डी. कार्ड/आधार कार्ड/पेन कार्ड/स्मार्ट कार्ड सहित नियत दिनांक को उपस्थित होंगे। यदि उनकी उम्मीदवारी सही पाई गई तो कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

(1) सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, सहायक गेड– 3 (निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन/ आदेशिका लेखक)–

प्रथम भाग – प्रारंभिक लिखित परीक्षा

1— उपरोक्त पदो के चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से पंद्रह गुना से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से एक सम्मिलित प्रारंभिक लिखित परीक्षा, जिला एवं सत्र न्यायालय, बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा आयोजित की जा सकेगी, जिसमें प्राप्त अंको के आधार पर रिक्त पदों के पंद्रह गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जायेंगे। कौशल परीक्षा के स्थान और दिनांक की सूचना पृथक से न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी और न्यायालय के वेबसाईट में भी अपलोड की जायेगी। उसके अलावा पृथक से भी सूचना पत्र उम्मीदवारों को भेजा जायेगा। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंको का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तरीय, खाली स्थान इत्यादि संबंधी 50 प्रश्न हो सकते हैं। जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 02 अंक होगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, गणित एवं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगें। उक्त परीक्षा की अवधि केवल एक घंटे की होगी। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक (कट ऑफ मार्क्स) पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या 15:01 से अधिक हो सकती है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की छटनी के लिये होगी। परंतु अंतिम चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंको में विचार नही किया जावेगा और कौशल परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूचीं तैयार की जायेगी, और उक्त सूचीं के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्रावीण्य सूचीं के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

2— समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि भी समान पाए जाने की दशा में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन किया जावेगा।

चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार ला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा को होगा।

द्वितीय भाग – कौशल परीक्षा

सहायक प्रोग्रामर पद के लिये –

कौशल परीक्षा :– 100 अंक
नोट :– यूनिक्स/ओपन सोर्स साफ्टवेयर/विंडोज/एन.टी. व उबन्टू तकनीकी से संबंधित कौशल परीक्षा ली जावेगी, जिसमें उनके कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित ज्ञान की परीक्षा ली जायेगी।

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु –

कौशल परीक्षा – 100 अंक
अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर से टाईप करना होगा जिसके लिये 70 अंक नियत है तथा 30 अंक के लिये शुद्ध लेखन (ईमला) होगा, जिसमें 250 शब्द के गद्यांश का ईमला 10 मिनट की समयावधि में बोला जायेगा जिसे उसी समय कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु–

कौशल परीक्षा – 100 अंक
हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर से टाईप करना होगा जिसके लिये 70 अंक नियत है तथा 30 अंक के लिये शुद्ध लेखन (ईमला) होगा जिसमें 250 शब्द के गद्यांश का ईमला 10 मिनट की समयावधि में बोला जायेगा जिसे उसी समय कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

सहायक ग्रेड– 03 (निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन/आदेशिका लेखक) के पद हेतु–

कौशल परीक्षा– 100 अंक :–
इस पद हेतु उम्मीदवार को 250 शब्द का पूर्व टंकित गद्यांश दिया जायेगा जिसको देखकर और पढ़कर 10 मिनट की समयावधि में कम्प्यूटर में टाईप करना होगा जिसमें 50 अंक होंगे तथा 50 अंक शुद्ध लेखन (ईमला) होगा जिसमें 250 शब्द के गद्यांश का ईमला 10 मिनट की समयावधि में बोला जायेगा जिसे उसी समय कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

टीप– कौशल परीक्षा में उपरोक्त स्टेनोग्राफर हिंदी/अंग्रेजी, सहा. ग्रेड–3 पदों हेतु 25 त्रुटि तक

प्रत्येक त्रुटि पर एक–एक अंक की कटौती की जावेगी तथा 25 से अधिक त्रुटियां होने जांच नही किया जायेगा और उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि, यदि किसी अभ्यर्थी ने सहायक प्रोगामर या स्टेनोग्रा (हिन्दी/अंग्रेजी) या सहायक ग्रेड–3 पदो के लिए पृथक–पृथक आवेदन दिया है तो ऐसे अभ्यर्थी एक ही बार प्रारंभिक लिखित परीक्षा लिया जावेगा। जो आवेदित सभी पदों हेतु मान्य होगा। प्रत्येक आवेदित पद हेतु पृथक–पृथक प्रारंभिक परीक्षा देना आवश्यक नही होगा। प्रारंभिक परीक्षा का अंक कौशल परीक्षा में नहीं जोड़ा जायेगा। कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी, परंतु चयन सूची में स्थान प्राप्त करने पर भी किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि, नियुक्तिकर्ता अधिकारी, ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि, उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

भृत्य (नियमित) एवं आकस्मिकता निधि कर्मचारी (चौकीदार, वाटरमेन, स्वीपर) पद हेतु चयन प्रक्रिया :–

उक्त दोनो पदों हेतु सम्मिलित रूप से चयन प्रकिया अपनाई जायेगी, जो उम्मीदवार प्रवीणता सूची में प्रथम पांच स्थान पर होंगे, उन्हे भृत्य के नियमित पद पर नियुक्त किया जायेगा और शेष उम्मीदवारों को उनके प्रावीण्यता के कम में आकस्मिकता निधि कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया जायेगा। जो उम्मीदवार भृत्य नियमित पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है, वे यदि आकस्मिकता निधि कर्मचारी पद पर भी नियुक्ति चाहते है तो आवेदन में विकल्प दे सकते है, जिन्हे पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है। परंतु यदि कोई उम्मीदवार मात्र भृत्य के नियमित पद हेतु या मात्र आकस्मिकता निधि कर्मचारियों के पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उक्त संबंध में विकल्प में तद्नुसार प्रविष्टि कर सकता है।

प्रथम चरण – भृत्य (नियमित) एवं आकस्मिकता निधि कर्मचारी (चौकीदार, वाटरमेन, स्वीपर) पद पर चयन हेतु अर्हताकारी परीक्षा अर्थात् पांचवी बोर्ड की परीक्षा में प्राप्तांक पर 100 अंक निर्धारित किया जावेगा और आवेदक के प्राप्तांक के प्रतिशत को उक्त पद हेतु निर्धारित 100 अंक में का प्राप्तांक माना जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को पांचवी की परीक्षा में 65 प्रतिशत अंक प्राप्त है तो उसे 100 में से 65 अंक दिया जायेगा। उसके अतिरिक्त उच्चतर शैक्षणिक योग्यता आठवीं बोर्ड उत्तीर्ण होने पर 2 अंक, 10 वीं बोर्ड उत्तीण होने पर 2 अंक, बारहवी बोर्ड उत्तीर्ण होने पर 2 अंक तथा स्नातक होने पर 2 अतिरिक्त अंक दिया जायेगा। उक्त प्रक्रिया के अनुसार भृत्य के रिक्त पद 5 और आकस्मिकता निधि कर्मचारी के रिक्त पद 12 कुल रिक्त पद 17 के 10 गुना उम्मीदवारों को उपयुक्तता परीक्षण/साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा। उपयुक्तता परीक्षण/साक्षात्कार हेतु 12 अंक निर्धारित किया गया है। उपयुक्तता परीक्षण/साक्षात्कार हेतु आहूत उम्मीदवारों का पद हेतु उपयुक्तता, शारीरिक क्षमता, व्यवहारिकता और व्यक्तित्व तथा कार्य हेतु उनकी अभिरूचि तथा पूर्व अनुभव को देखते हुए, अंक दिया जायेगा। इस प्रकार कुल 120 अंक में से प्राप्तांक के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रथम पांच स्थान प्राप्त करने वाले आवेदकों को भृत्य के नियमित पद पर नियुक्त किया जायेगा। शेष को प्रावीण्यता के आधार पर आकस्मिकता निधि कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

उपयुक्तता परीक्षण/साक्षात्कार की तिथि **30/04/2017** नियत की जाती है। उक्त संबंध आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर पांचवी बोर्ड की परीक्षा में प्राप्त अंक और उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दिये जा रहे अतिरिक्त अंक को सम्मिलित करते हुए पूर्णांक 108 अंक में उम्मीदवार के प्राप्तांक को देखते हुए, आवेदकों की प्रावीण्यता सूची तैयार की जायेगी, जो रिक्त पद का 10 गुना होगा। **उक्त सूची के अनुसार चयनित आवेदकों को ही दिनांक 30.04.2017 को निर्धारित उपयुक्तता परीक्षण/साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। उक्त संबंध में उपयुक्तता परीक्षण/साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदकों को पृथक से कोई सूचना पत्र जारी नही किया जायेगा।** जिन आवेदकों का उपयुक्तता परीक्षण/साक्षात्कार लिया जाना है, उनकी सूची न्यायालय के सूचना पटल पर उपयुक्तता परीक्षण/ साक्षात्कार हेतु नियत दिनांक के पूर्व चस्पा की जायेगी और जिला न्यायालय के वेबसाईट (ecourts.bemetara.gov.in) में भी अपलोड किया जायेगा। जिसका अवलोकन कर, चयनित उम्मीदवार उपयुक्तता परीक्षण/ साक्षात्कार हेतु नियत दिनांक 30.04.2017 को प्रातः 9:00 बजे अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र सहित जिला न्यायालय, बेमेतरा में उपस्थित रहे।

जो आवेदक आकस्मिकता निधि कर्मचारी के रूप में चयनित होते है, उन्हे वाटरमेन/चौकीदार/स्वीपर में से किसी भी पद हेतु कार्य के लिए निर्देशित किया जा सकता है। अतः उक्त पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक सुनिश्चित हो जाये कि वे किसी भी पद हेतु कार्य करने हेतु इच्छुक और तैयार है।

अन्य आवश्यक सूचना

01— जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।

02— कम्प्यूटर प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड–3 पद हेतु जिन उम्मीदवारों का आवेदन पत्र समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदकों को रोल नंबर आंबटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा (छ.ग.) की वेबसाईट (ecourts.bemetara.gov.in) पर अपलोड किया जावेगा तथा परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जावेगी। जिला न्यायालय बेमेतरा के नोटिस बोर्ड पर भी उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जावेगी तथा उम्मीदवार वेबसाईट में अपने रोल नंबर अवलोकन कर सकेंगे। प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु आवेदक को पृथक से भी साधारण डाक से सूचना पत्र प्रेषित किया जावेगा, उसी प्रकार प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त आवेदकों को कौशल परीक्षा हेतु भी पृथक से सूचना पत्र भेजा जावेगा। उक्त सूचना पत्र साधारण डाक से भेजा जावेगा, यदि किसी आवेदक को सूचना पत्र समय पर प्राप्त नही होता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नही होगी। यह परामर्श दिया जाता है कि, आवेदक जिला न्यायालय के वेबसाईट और जिला न्यायालय के सूचना पटल से समय–समय पर जानकारी प्राप्त करते रहे।

03— प्रारंभिक एवं कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को परीक्षा के लिए निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय

देय नहीं होगा।

04— अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली ली जा सकेगी।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

1— प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्रों में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

2— चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3— चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया हो। जिला चिकित्सालय बेमेतरा के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता (Fitness) प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से कराये जाने पर विपरीत टीप प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरीफिकेशन भी कराया जायेगा तथा आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

4— नियुक्ति प्रथमतः दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर होगी। कार्य संतोषजनक न होने पर परीवीक्षा अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकेगी।

5— चयन प्रक्रिया के संबध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

6— चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा चयन के उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो उसकी नियुक्ति किसी भी स्तर पर समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

7— चुने गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति सिविल जिला बेमेतरा के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकती है तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।

8— उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शित रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी जिसे बढ़ाया या कम किया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण टीप

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त योग्यता तथा शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता के समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन प्रस्तुत करें। लिखित परीक्षा अथवा कौशल परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है, चयन किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जायेगी। कोई सारवान जानकारी छुपाया जाना पाये जाने पर नियुक्ति पश्चात भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय, बेमेतरा,
जिला—बेमेतरा(छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(सहायक प्रोगामर, स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) सहायक ग्रेड–3 पद हेतु)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बेमेतरा(छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :...
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :...
   (श्री/श्रीमती/कु.)
   (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :...
3. पिता/पति का पूरा नाम :...
4. जन्मतिथि :...
5. आयु दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में :...
6. लिंग (महिला/पुरूष) :...
7. वर्ग (जो लागू हो)

अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

8. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है अथवा नहीं :...
   (यदि हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. शैक्षणिक योगयता (संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	कक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	वर्ष	प्रतिशत
1.				
2.				
3.				
4.				

5.				
6.				

10. अनुभव यदि कोई हो तो : ....

11. यदि निःशक्त हों तो –

निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत :..

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

12. क्या आवेदन के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया गया है अथवा लंबित है, हॉ/नहीं..

(यदि हॉ तो स्पष्ट विवरण दें)

13. क्या आवेदक को किसी न्यायालय/शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया है,

(यदि हॉ तो स्पष्ट विवरण दें) हां/नहीं..

14. क्या आवेदक को किसी उच्च न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह किया गया है,

(यदि हॉ तो स्पष्ट विवरण दें) हॉ/नहीं..

15. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :–

:..

:..

:..

16. स्थायी पता :–

:..

:..

:..

17. संलग्नकों की सूची :–

1.. ....

2..

3..

4..

5..

6..

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मैंने अपनी शैक्षणिक/तकनीकि/व्यवसायिक योगयता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सही–सही पूर्ण विवरण दिया है। मैं आवेदित पद हेतु विज्ञापन में उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता रखता/रखती हूं। यदि आवश्यक अर्हता पूर्ण होना न पाया जाये अथवा उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति चयन प्रक्रिया अथवा नियुक्ति उपरोक्त किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी।

स्थान –

दिनांक –

(आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ0ग0)

–: लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र :–
(सहायक प्रोगामर, स्टेनोग्राफर (हिन्दी / अंग्रेजी) सहायक ग्रेड–3 पद हेतु)
(प्रवेश पत्र दो प्रतियों में संलग्न करें)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

रोल नंबर :–

परीक्षा केन्द्र / संस्था :–

परीक्षा का दिनांक समय :–

(कार्यालय द्वारा भरा जावेगा)

आवेदक बॉक्स में हस्ताक्षर करें

(आवेदक द्वारा जाने वाली जानकारी)

आवेदित पद का नाम– :..

परीक्षार्थी का नाम– :..

पिता का नाम– :..

वर्ग– :..

पता– :..

:..

प्रवेशपत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

1 – परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।

2 – परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

3 – परीक्षा में केवल काले या नीले बॉल पेन का उपयोग करें।

4 – परीक्षा के दौरान वीक्षक/चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेंक्षक/चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।

5 – परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षा प्रपत्र पर किसी प्रकार का पहचान चिन्ह अंकित किए जाने पर परीक्षार्थी का उत्तर पुस्तिका की जॉच नहीं की जायेगी।

6 – परीक्षा में किंसी प्रकार का वर्जित कागजात, पुस्तक, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाईल इत्यादि रखना वर्जित है।

आवेदन पत्र का प्रारूप
भृत्य (नियमित) एवं आकस्मिकता निधि कर्मचारियों हेतु

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बेमेतरा(छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम— :..
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :..
   (श्री / श्रीमती / कु.)
   (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :..
3. पिता / पति का पूरा नाम :..
4. जन्मतिथि :..
5. आयु दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में :..
6. लिंग (महिला / पुरूष) :..
7. वर्ग (जो लागू हो)

अनु. जनजाति	अनु. जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

8. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है अथवा नहीं :..
   (यदि हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. शैक्षणिक योगयता (संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क.	**कक्षा का नाम**	**बोर्ड / वि.वि. का नाम**	**वर्ष**	**प्रतिशत**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

10. अनुभव यदि कोई हो तो :..
    (स्वीपर / फर्राश / माली / गार्ड / वाहनचालक / खानसामा / तकनीशियन—पम्पअटेंडेंट / प्लम्बर / धोबी / इलेक्टीशियन / कारपेंटर, चौकीदार / ब्यूटीशियन / नाई / नर्स इत्यादि संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11. यदि निःशक्त हों तो –
निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत :..
(स्वप्रमाणित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी
स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
12. क्या आवेदक नियमित भृत्य पद के साथ आकस्मिकता निधी कर्मचारी पद हेतु चयनित किये जाने में सहमत है, हॉ/नहीं..
13. क्या आवेदन के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया गया है अथवा लंबित है,
हॉ/नहीं...(यदि हॉ तो स्पष्ट विवरण दें)
14. क्या आवेदक को किसी न्यायालय/शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया है,
हॉ/नहीं...(यदि हॉ तो स्पष्ट विवरण दें)
15. क्या आवेदक को किसी उच्च न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह किया गया है,
हॉ/नहीं...(यदि हॉ तो स्पष्ट विवरण दें)

16. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता
:..
:..
:..

17. स्थायी पता
:..
:..
:..

18. संलग्नकों की सूची :–

1.. .... 2...
3... 4...
5... 6...

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मैंने अपनी शैक्षणिक/तकनीकि/व्यवसायिक योगयता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सही–सही पूर्ण विवरण दिया है। मैं आवेदित पद हेतु विज्ञापन में उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता रखता/रखती हूं। यदि आवश्यक अर्हता पूर्ण होना न पाया जाये अथवा उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति चयन प्रकिया अथवा नियुक्ति उपरोक्त किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी।

स्थान –
दिनांक – (आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम)

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ0ग0)

ज्ञापन

क्रमांक ..../परीक्षा सेल/2017 बेमेतरा, दिनांक 28 .03.17

प्रति,

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर/बालोद/बलौदाबाजार/बस्तर स्थानजगदलपुर/दुर्ग/बिलासपुर/धमतरी/जशपुर/सूरजपुर/कोण्डागांव/कोरबा/कोरिया/कांकेर/कबीरधाम/महासमुंद/रायगढ़/राजनांदगांव/सरगुजा स्थान अंबिकापुर/जांजगीर–चांपा/दंतेवाड़ा
2. कलेक्टर, जिला– बेमेतरा।
3. प्रभारी अधिकारी, नजारत बेमेतरा/साजा

विषयः– जिला एवं सत्र न्यायालय, बेमेतरा में सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड–3, भृत्य एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा में सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी), सहायक ग्रेड–तीन(साक्ष्य लेखक/सहा.अभिलेखापाल/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) एवं भृत्य तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रिक्त पद पर भर्ती किये जाने हेतु विज्ञापन की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त विज्ञापन जिला न्यायालय बेमेतरा की बेबसाईट ecourt.gov.in/bemetara पर भी अपलोड कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन को आपके न्यायालय/कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।

संलग्न :– विज्ञापन की छायाप्रति ।

अध्यक्ष,
चयन समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय,
बेमेतरा (छ0ग0)